

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रीवा(म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक:- 14 अगस्त/ 2020

क्रमांक/ 944 /प्रवा. कले./2020:- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/ 2020/272, दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र0/ प्र0स0/ स्वास्थ्य/ सत्रह/ मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेवसन 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:-

- जवा तहसील के ग्राम जोन्हा वार्ड क्र0-05 में पाए गए COVID-19 संक्रमित पॉजिटिव केस से संबंधित घर एवं उसके आस-पास के घरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स0 क्र0	स्थान का नाम
1	ग्राम जोन्हा वार्ड क्रमांक-05(शुकलान टोला) अन्तर्गत श्री राधेश्याम तिवारी के मकान से श्री उपेन्द्र शुक्ला के मकान तक निरीक्षक मण्डल अतरैला तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.)

- श्री पुष्पराज, पुष्पेन्द्र शुक्ला निवासी जोन्हा वार्ड क्र0-05 के घर को Epicenter घोषित करते हुये ग्राम जोन्हा वार्ड क्रमांक-05(शुकलान टोला) अन्तर्गत श्री राधेश्याम तिवारी के मकान से श्री उपेन्द्र शुक्ला के मकान तक निरीक्षक मण्डल अतरैला तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.)को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।
- कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Diseases COVID-19 Regulation-2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :-

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पी. डब्ल्यू. डी अधिकारी
ग्राम जोन्हा वार्ड क्रमांक-05 (शुकलान टोला) अन्तर्गत श्री राधेश्याम तिवारी के मकान से श्री उपेन्द्र शुक्ला के मकान तक निरीक्षक मण्डल अतरैला तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.)	श्री संजीव कुमार पाण्डेय अनुविभागीय टण्डाधिकारी अनुभागत्योंथर मो. न. 6264580802	श्री भुवनेश्वर सिंह प्रभारी तहसीलदार तहसील जवा मो.न. 9179718876	श्री डी.पी.सिंह अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डभौय मो.न. 9993879726	श्री ए.बी.खरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन.पंवा.जवा मो.न. 9425145310	श्री अंगिराप्रसाद तिवारी अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मो. न. 6264050216

कृ०प०उ०



4. कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ० एन० के० पाण्डेय, जिला स्टाफ्ड विक्टिसा अधिकारी, जवा मो.न.-9424336978 नोडल अधिकारी रहेगे तथा सहायक नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास जवा श्रीमती मालती पाण्डेय मो.न.-9993535264 रहेगी।

-:: कंटेनमेंट एरिया ::-

- कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्णरूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेन्टाइन में रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियांवयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
- कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- कंटेनमेंट एरिया हेतु रेपिड रिस्पांस टीम / मेडिकल मोबाइल यूनिट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।
- उक्त क्षेत्र के एंटी एविजट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत सज्जिनिंग की जाएगी।
- समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन कार्यकर्ता / एपीसेंटर से प्रति टीम पचास घंटे का ग्रामण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉ० एन० के० पाण्डेय, स्टाफ्ड विक्टिसा अधिकारी, जवा मो.न.-9424336978 जो अनिवार्यतः करायेगे, तथा डॉ० बसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफिसर मो. न. 9425185810 से समन्वय स्थापित करेंगे।
- समस्त टीम COVID-19 सरपेवटेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, स्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेन्टाइन कराया जाना अतिआवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
- जिनको होम क्वारेन्टाइन किया गया है, उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष क्र माध्यम से) जबतक की सरपेवटेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, सम्बंधित के फरट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेन्टाइन में रहना होगा एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन प्रतिदिन रखना होगा।
- आने संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत सदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त सम्बंधितों (सेल्फ डिक्लोरेशन फॉर्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेन्टाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेसिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करे।
- जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
- सरपेवटेड केस आर. आर.टी / एम. एम. यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंड वॉशिंग और पर्सनल वॉशिंग के प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे।
- समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे।

(इलैयाराजा टी.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला -रीवा (म.प्र.)

कृ०प०३०



प्र.क्र. 944 /प्रवा. कले. /2020

प्रतिष्ठित

जिला शिवा

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रीवा।
15. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला रीवा।
16. नगर पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रेपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
19. संबंधीजन श्री.....की ओर पालनार्थ।
20. सहायक संवातक, जनसम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला -रीवा (म0 प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक: 15 अगस्त /2020

क्रमांक / 944 / प्रवा. कले. / 2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म0 प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/ आईडीएसपी /2020/272, दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र/ प्र. स. / स्वास्थ्य / सत्रह / मेडि-3 / 596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म. प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेवसन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके हैं। मैं इलैया राजा टी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा (म0 प्र0) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेवसन 71(1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम जोन्हा वार्ड क्रमांक-05(शुकलान टोला) अन्तर्गत श्री राधेकृष्ण तिवारी के मकान से श्री उपेन्द्र शुक्ला के मकान तक निरीक्षक मण्डल अतरौला तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.) को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा ! जिसमें आई.एल.आई.के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा ! उक्त कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं :-

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मो. न.	वार्ड क्र.
1	श्री वीरेंद्र मिश्रा	सचिव, ग्राम पंचायत जोन्हा	9755973552	वार्ड क्र0-05
	श्रीमती रजनी चौधरी	ए.एन.एम.उप स्वा.केन्द्र जोन्हा	7389394928	
	श्रीमती गीता तिवारी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जोन्हा	9202900812	
	श्री उमेश तिवारी	शिक्षक शाला जोन्हा	9229853370	

क0प030



पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	कार्य
1	श्री अंगिरस मिश्रा मो.न.- 7566350991	सेक्टर सुपरवाइजर सेक्टर क्षेत्र- जोन्हा	वार्ड क्र0-05

रिजर्व दल

दल क्र.	नाम	पद	मो. न.
1	श्री शवेन्द्र कुमार गुप्ता	रोजगार सहा.ग्राम पंचा.जोन्हा	9752196325
2	श्रीमती ममता तिवारी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जोन्हा	9200227786
3	श्री हरीशंकर मिश्रा	शिक्षक शाला.जोन्हा	9399431624

उपरोक्त कार्यवाही हेतु जिला/खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जवा नियंत्रण कक्ष रहेगा !
नियंत्रण कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था डॉ एन0 के0 पाण्डेय, जिला/खण्ड चिकित्सा अधिकारी,जवा मो.न.-
9424336978 करेंगे एवं डॉ.अग्निवेश मिश्रा, एम.ओ.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा मो.न.-6266257933
कन्टेनमेंट क्षेत्र में कान्टेवट ट्रेसिंग का कार्य देखेंगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से
प्राप्त कर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेंगे !



प्रवा. कले. /2020

(इलैयाराजा टी.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला-रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक:- 14 अगस्त /2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. रेपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु !
9. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ ।
10. सम्बंधीजन श्रीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला-रीवा (म.0प्र0)